

श्रीमान अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

K.C.(U)DA

भहाशाय

१७/०७/२०२१

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं प्रवीन कुमार, सुमन कुमार
ग्राम तारा टंड पो० सुमरी बिलैया थाना बिलैया
जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा गुमा
2. थाना बिलैया
3. थाना न० 12
4. खाता न० 328
5. प्लॉट न० 1627
6. रकबा 2 सौ.
7. भूमि का किस्म खेती
8. अघतन रसिद न० 03198 85814
9. दा० खारिज वाद संख्या 2811/2021-22

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

प्रवीन कुमार
विश्वासभाजन
सुमन कुमार

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।
भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या.....160.../2023

20.03.2023
आवेदक प्रवीण कुमार एवं सुमन कुमार दोनों के पिता स्व० सदानन्द प्रसाद साकिन-ताराटाँड़, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
गुमो	12	328	1627	2 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...28/03/2023 को प्रस्तुत करें।

24/03/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

28.03.2023
अभिलेख उपस्थापित

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

28.04.2023
हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-328, प्लॉट सं०-1627, रकबा-2 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-66, भाग संख्या-66 पर प्रवीण कुमार एवं सुमन कुमार दोनों के पिता स्व० सदानन्द प्रसाद के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-1484 दिनांक-23.03.2021 द्वारा प्राप्त है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-2811/2021-22 दर्ज है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2021-22 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या-140 दिनांक 25.03.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-328, प्लॉट सं०-1627, रकबा-2 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

03/04/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।